न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूॅंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 117/2024 दायर दिनांक 09.10.2024
जीसीएमएस नं. 2024/132 निर्णय दिनांक 11.06.2025

उनवान

1. श्री धनजी पिता श्री हुका डेण्डोर
2. श्री रमेशचन्द्र पिता श्री नाथा डामोर
3. श्री थावरा पिता श्री अलखा बुझ निवासी विकासनगर
4. श्री जगमाल पिता श्री हूरजी ननोमा
5. श्री कमलाशंकर पिता श्री नाना ननोमा
6. श्री शिवा पिता श्री जीवा डिण्डोर
7. श्री पूॅंजा पिता श्री जीवा डिण्डोर
8. श्री कावा पिता श्री वक्सी डिण्डोर निवासी ढेडिया फला विकासनगर
9. श्री मोतीराम पिता श्री अमृत डिण्डोर
10. श्री मुकेश पिता श्री सोमा डेण्डोर
11. श्री अर्जून पिता श्री धनजी ननोमा
12. श्री कमलाशंकर पिता श्री भाणा रोत
13. श्री नटवर पिता श्री हकरा डेण्डोर

समस्त निवासी विकासनगर तहसील डूॅंगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री नानुराम पिता श्री हूका मीणा
2. श्रीमति हाकेर पत्नी श्री नानुराम मीणा निवासी विकासनगर गेंजी घाटा तहसील डूॅंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

र्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि ावंटन) नियम ,1970 स्थगन आदेश जारी करने बाबत।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

उपस्थित – 1. श्री मुकेश भट्ट, अधिवक्ता – अपीलाण्ट
2. श्री लक्ष्मण सिंह बियोला, अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय **दिनांक– 11.06.2025**

1. अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पेश का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण गेंजी घाटा फला विकासनगर तहसील झौंथरी के आस पास के क्षैत्र के निवासी है और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के भी सदस्य है। ग्राम वासियों व विद्यालय प्रबंधक समिति में भी इनमें से सदस्य हैं। जो विकास तथा विधालय के हितो तथा प्रबंधन में रूचि रखते है। राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय गेंजी घाटा फला विकासनगर की सीमा से लगी हुई खसरा संख्या 208/2, 185/3 की भूमि है। जिसका उपयोग उपभोग विद्यालय के द्वारा तथा विद्यालय के बालको के द्वारा गत कई वर्षों से किया जाता रहा है। अधिनस्थ भूमि आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा नियम 9 तथा नियम 10 की पालना नही की गई है। विपक्षी संख्या एक व दो को भूमि आवंटित करने के पूर्व राजस्व कार्मचारी के द्वारा मौके का निरीक्षण नही किया गया है तथा नियमों की अनदेखी कर विपक्षी संख्या एक व दो को मौझा गेंजी घाटा का 208/2 रकबा 2 बीघा आवंटन दिनांक 02.02.2006 को किया गया है। एलोटमेंट से पूर्व आम नागरिको की आपत्ति होने की सूचना नही मॉगी गई है। आवंटित की गई भूमि की आम सूचना प्रकाशित नही की गई है। अन्यथा प्रार्थीगण उसी समय इस भूमि को विपक्षी संख्या एक व दो को आवंटित नही करने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता। राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय गेंजी घाटा फला विकासनगर मौझा विकासनगर का खसरा नम्बर 208/2 पुराना नया खसरा संख्या 940 एवं खसरा संख्या 866 की सीमा के पास में ही स्थित है। जिसका उपयोग विद्यालय द्वारा खेल व अन्य कार्यक्रम के हेतु उपयोग किया जाता रहा है। उक्त खसरा की भूमि को पंचायत के द्वारा तथा जिसको स्थानीय व आस पास के ग्राम वासियों की प्रार्थना पर उक्त विद्यालय के विस्तार रखी हुई थी। विपक्षी संख्या एक व दो ने तत्कालीन पटवारी राजस्व कर्मचारियों से साठ गाठ कर षडयंत्र कर मौजा विकासनगर का उक्त खसरा सख्या 208/2 रकबा दो बीघा भूमि का आवंटन प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2006 में शिविर में करवा लिया। जिसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नही होने दी और आवंटन के पश्चात इसकी पैमुदगी नक्षे में तथा राजस्व रेकार्ड में नामान्तकरण भी नही करवाया गया है। आवंटन की जानकारी ग्रामवासियों को विपक्षी संख्या एक व दो के द्वारा मई 2004 के तीसरे सप्ताह में जे.सी.बी. लेकर आकर कब्जा कर बाड लगाने का प्रयास किये जाने पर प्रार्थीगण के द्वारा रोके जाने पर विपक्षी संख्या एक व दो के द्वारा भूमि आवंटन होने की जानकारी दी गई। विपक्षीगण राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय गेंजी घाटा फला विकासनगर

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

की उक्त भूमि पर उक्त आवंटन तथा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी में अंकित होने के आधार पर अपने बल का प्रयोग कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जावेगा। जिसका विरोध प्रार्थीगण के द्वारा किये जाने पर आमजन शांति भंग होने की संभावना है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर विपक्षीगण के द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर लिये जाने पर प्रार्थीगण के अधिकारों को इस प्रकार की क्षति होगी जिसका कि मूल्यांकन किया जाना तथा पूर्ति किया जाना संभव नही होगा । अतएव विपक्षीगण को अतिक्रमण कर कब्जा करने से रोका जाना आवश्यक है अन्यथा विधालय के हितो को बडी भारी क्षति होगी।
अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घाटा फला विकासनगर के कब्जे की खसरा संख्या 208/2 रकबा दो बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा नही करे और काश्त में व्यवधान उत्पन्न नही करे।

2. विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश न कर सीधे बहस प्रस्तुत की।

3. हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी।

4. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण गेंजी घाटा फला विकासनगर तहसील झौंथरी के आस पास के क्षैत्र के निवासी है और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के भी सदस्य है। राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय गेंजी घाटा फला विकासनगर की सीमा से लगी हुई खसरा संख्या 208/2, 185/3 की भूमि है। जिसका उपयोग उपभोग विद्यालय के द्वारा तथा विद्यालय के बालको के द्वारा गत कई वर्षों से किया जाता रहा है। अधिनस्थ भूमि आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा नियम 9 तथा नियम 10 की पालना नही की गई है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो को भूमि आवंटित करने के पूर्व राजस्व कार्मचारी के द्वारा मौके का निरीक्षण नही किया गया है तथा नियमों की अनदेखी कर विपक्षी संख्या एक व दो को मौझा गेंजी घाटा का 208/2 रकबा 2 बीघा आवंटन दिनांक 02.02.2006 को किया गया है। एलोटमेंट से पूर्व आम नागरिको की आपत्ति होने की सूचना नही मॉगी गई है। आवंटित की गई भूमि की आम सूचना प्रकाशित नही की गई है। राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय गेंजी घाटा फला विकासनगर मौझा विकासनगर का खसरा नम्बर 208/2 पुराना नया खसरा संख्या 940 एवं खसरा संख्या 866 की सीमा के पास में ही स्थित है। जिसका उपयोग विद्यालय द्वारा खेल व अन्य कार्यक्रम के हेतु उपयोग किया जाता रहा है। उक्त खसरा की भूमि को पंचायत के द्वारा तथा जिसको स्थानीय व आस पास के ग्राम वासियों की प्रार्थना पर उक्त विद्यालय के विस्तार रखी हुई थी। रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो ने तत्कालीन पटवारी राजस्व कर्मचारियों से साठ गाठ कर षडयंत्र कर मौजा विकासनगर का उक्त खसरा सख्या 208/2 रकबा दो बीघा भूमि का आवंटन प्रशासन गॉवों के संग

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अभियान 2006 में शिविर में करवा लिया। अतएव विपक्षीगण को अतिक्रमण कर कब्जा करने से रोका जाना आवश्यक है अन्यथा विधालय के हितो को बडी भारी क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घाटा फला विकासनगर के कब्जे की खसरा संख्या 208/2 रकबा दो बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा नही करने और काश्त में व्यवधान उत्पन्न नही करने बाबत स्थगन आदेश जारी करावें।

5. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौझा गेंजी घाटा खसरा संख्या 208/2 रकबा दो बीघा विपक्षी संख्या एक व दो को मौझा गेंजी घाटा का 208/2 रकबा 2 बीघा आवंटन दिनांक 02.02.2006 को किया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त हैं। अतः खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

6. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। **वादग्रस्त आराजी मौझा गेंजी घाटा खसरा संख्या 208/2 रकबा दो बीघा विपक्षी संख्या एक व दो को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.02.2006 को आवंटन किया गया है। वर्तमान जमाबन्दी रिकोर्ड अनुसार वादग्रस्त आराजी के विपक्षी संख्या 1 व 2 रिकोर्डेड खातेदार हैं। अतः किसी खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित नहीं हैं।** अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के प्रस्तुत करने से खारिज किया जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
डूंगरपुर